मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– सीमांचल–आउटलेट–03–47/2022 – 857 (ज) दिनांक :– 20/7/22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ अंचल, पूर्णियाँ।

विषयः– **पथ प्रमंडल पूर्णियाँ अन्तर्गत मीरगंज–कुर्सैला (एस०एच०–77) पथ के मौजा–रुपसपुर खगहा, थाना–मीरगंज, थाना सं०–136, प्लॉट नं०–2327, 2331, खाता सं०–232, 497 क्षेत्र–1225 sq. mtr. (लगभग) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० का रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–620 (अनु0) दिनांक–06.07.2022 एवं पत्रांक–620 अनु०, दिनांक 06.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक उपभागीय पत्रांक–611 अनु० दिनांक 30.05.2022 के आलोक में प्रासंगिक पत्र से सूचित किया गया है कि विषयांकित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु आवेदिका मधुलत्ता कुमारी द्वारा वर्ष 2022 तक का विभागीय शुल्क कुल ₹ 3,16,308.00 (रूपये तीन लाख सोलह हजार तीन सौ आठ) मात्र की राशि E-Challan के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में पूर्णियाँ अन्तर्गत मीरगंज–कुर्सैला (एस०एच०–77) पथ के मौजा–रुपसपुर खगहा, थाना–मीरगंज, थाना सं०–136, प्लॉट नं०–2327, 2331, खाता सं०–232, 497 क्षेत्र–1225 sq. mtr. (लगभग) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० का रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के स्थापना हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रुप में विकसित कर व्यवहार हेतु 5 (पाँच) वर्षो के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक–4770(E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1921(S) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्त्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. भविष्य में यदि आवेदिका द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. विभागीय पत्रांक 4770 (ई0) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका–6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु0ः–मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

NOC-Retail Outlet/Gas Pipe Line A.K

मधुलता कुमारी